



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 07/2022 धारा-363,366,376 भा0द0सं0 व 04 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पाँक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र सुधाकर सिंह निवासी छानी खुर्द, थाना बिंवार, जनपद हमीरपुर को धारा-363,366 भा0द0सं0 व 04 पाँक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
अनुग्रह नारायण



पैरोकार  
थाना - बिवांर  
का0 श्रीकान्त राजपूत